न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/49

1. रामेश्वर आत्मज माधो जाति धाकड निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. दिनेश आत्मज छीतर जाति धाकड निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. मायाराम आत्मज गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. बलराम आत्मज गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछीला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. कसकन्दा पत्नी स्व० गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 63/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पो0 01 लगायत 03 द्वारा जयें अभिभाषक प्रार्थना अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति के खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम बाछोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 81, खसरा संख्या 116 रकबा 2.8558 हेक्टर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति काबिज होकर शांति पूर्वक कृषि काश्त करते चले आ रहे थे तथा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता प्रत्यार्थी संख्या 1 रामेश्वर की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 115 (व) प्रत्यार्थी संख्या 2 दिनेश की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 114 की भूमि के मध्य होकर मेर मेर बना हुआ था जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पिता/पति अपनी कृषि भूमि को हांकने के लिए कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने एवं आने जाने के रूप में वर्षों से लेते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु

आज से करीब दो साल पहले हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त प्रकार से रास्ते पर काबिज होकर प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु हो चुकी है किन्तु ऑनलाईन नामान्तकरण कार्यवाही बंद होने के कारण प्रार्थीगण का फोती नामान्तकरण नही खुल सका प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु के बाद से प्रत्याची संख्या 1 प्रार्थीगण को रास्ता देने के लिए लड़ाई झगडा करने लगे और कहने लगे कि यह मेरे खातेदारी की भूमि है अब में तुम्हे रास्ता नहीं दूंगा। यह कि दिनांक 10.06.2021 को प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि को हाकने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे तो प्रत्यार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को ट्रैक्टर ले जाने से मना कर दिया और कहा कि यहां कोई रास्ता नही है तो प्रार्थीगण ने कहा कि हम तो वर्षों से यही होकर आ जा रहे है तथा हमारे खेत पर जाने का यही एक मात्र रास्ता है तो प्रत्यार्थी संख्या 1 कहने लगा कि यह कोई सरकारी रास्ता नही है यह मेरे खातेदारी की भूमि है अब मैं तुम्हे यहां से होकर नही निकलने दूंगा तथा प्रत्यार्थी संख्या 1 ने रास्ते की भूमि को चिरे गाड कर तारबंदी कर रास्ता अवरुद्ध कर बन्द कर दिया और प्रार्थीगण से कहा कि अब दुबारा यहां से मत निकलना और प्रत्यार्थी संख्या 1 भी कहने लगा कि मै तो ट्रेक्टर का एक चिल्ला ही निकलने दूंगा पूरा नही और प्रार्थीगण को वहां से भगा दिया । यह प्रार्थना पत्र कारण है। यह कि अभी आषाडी का समय है यदि प्रत्यार्थी संख्या 1 नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये रास्ते अनुसार रास्ते पर होकर प्रार्थीगण को नहीं जाने देता है तो प्रार्थीगण फसल बोने से वंचित रह जायेंगे तथा प्रार्थीगण की भूमि पड़त रह जायेगी तथा प्रार्थीगण को महान एवं अपूतनय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद में कदापि संभव नही होगी। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर वर्षो से आने जाने के काम में ले रहे रास्ता जिसे नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से दर्शाया गया है रास्तानुसार रास्ता बहाल करवाकर उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे व अन्य सभी राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज करवाये । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता बहाल करवाकर रास्ता घोषित करवाये इसके लिए प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है यह कि प्रार्थीगण उक्त रास्ते को वर्षो से अपनी खातेदारी की भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने के सुखाधिकार के रूप मे उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का यह एक मात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी उक्त भूमि पर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता प्राप्त नही है। अतः प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय पारित किया जावें कि प्रार्थीगण के खातेदारी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने का रास्ता जिसे नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शायनुसार 20 फुट चौडा रास्ता बहाल कर रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे, नक्शा ट्रेस व अन्य समस्त रिकोर्ड में किया जायें। व प्रत्यार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान प्रार्थीगण का नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से दर्शायेनुसार रास्ते को अवरुद्ध नही करे, प्रार्थीगण को कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने में बाधा कारित नही करे एवं रास्ते के उपयोग व उपभोग करने हस्तक्षेप नही करे. ऐसा न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2021 द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया।

3. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 में अंकित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2021 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.102021 को खारिज फरमाया जावे ।

4. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय, न्याय, संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य लिये बगैर व बिना दस्तावेज के विधिक अधिकारों से वंचित करते हुये बिना जवाब के ही शिविर में एक तरफा कार्यवाही कर न्याय की भावना से विपरित जाकर मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपना कोटा पूरा करने के लिए मनमर्जी से शिविर में पत्रावली को ले जाकर एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। राजस्थान सरकार व न्यायपालिका का एक उद्देशय है कि वह लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से निर्णय पारित करवाये और जिनमें आपसी सहमति न बनी हो उनमें पुनः तारीख पेशी नियत की जाकर सुनवाई करे। राजस्व मण्डल भी समय–समय पर लोक अदालत व शिविर के लिए गाइडलाइन जारी करता है व एक सीमा निर्धारित करता है उसी के तहत अधिनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करनी होती है। परंतु यहां पर सिर्फ निर्णय की सूची बड़ा कर वाहवाही लूटना है इससे न्यायालय में वादो की बहुलता होती है। पक्षकारों को अन्य मुकदमों में उलझना पड़ता है। जो न्याय देने का मकसद है वह विफल हो जाता है। पक्षकारों को आर्थिक व न्यायिक क्षति होती है। अधिनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज कर इस तरह से निर्णय पारित किया है। जिसमें कानून की मंशा व पक्षकारों के हितों पर कुठाराघात है। ऐसा निर्णय प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (क) राजस्थान टेनेसी एक्ट के प्रार्थना पत्र को जिस प्रकार निस्तारित किया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है उक्त प्रार्थना पत्र में भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था, किन्तु फिर भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है. इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया है कि पूर्व से रास्ता होने व आवागमन हेतु किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है, सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रावधानों के रिकार्डेड खातेदार कृषक की भूमि से जिस प्रकार से अर्जित कर रास्ता दिये जाने

का आदेश पारित किया है, यह राजस्थान टेन्नेसी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, नये रास्ते के प्रावधानों की माननीय अधिनस्थ न्यायायल ने कोई पालना नहीं की है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 जो रास्ता कायम करवाना चाहते है उससे सरल रास्ता पूर्व में ही स्थित है आपसी दुरभावना से व मिलिभगत कर अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से खातेदारी की जमीन पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है पूर्व में दिये गये राजस्व रिकार्ड के रास्ते से प्रार्थी आज भी आसानी से आ जा रहा है व भविष्य में भी आ जा सकता है। तहसीलदार ने मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में मौका नही देखा मनमर्जी से पटवारी रिपोर्ट तैयार की गई। वह पुर्ण रूप से त्रुटिपुर्ण है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया। निर्णय में एकतरफा कार्यवाही करना अंकित किया है। तहसीलदार पक्षकार न होते हुए भी जवाब रिपोर्ट को आधार बनाया है जो पुर्णतया विधि विरुद्ध है दिनांक 29/09/2021 को तारीख पेशी के बाद कोई तारीख नही दी गई। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा जाते हुए खातेदार की कृषि भूमि में रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपुर्ण होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया की प्रार्थी द्वारा समस्त खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है ऐसी स्थिति में खातेदार को सुने बिना निर्णय दिया जाना विधि विरुद्ध है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर आर टी 2022 (1) पेज नं० 179–186 पेश किया। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलांट अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी नहीं थी वस्तुतः स्वयं अपीलांट के अपील मेमो में शुरुआत में ही अंकित कथनों में माना है कि दिनांक 29.09.2021 को अपीलांट को तारीख पेशी की सूचना प्राप्त हो गई थी अपीलांट अप्रार्थी ने यह भी अंकित किया है कि वह जरिये अधिवक्ता उपस्थित भी हुए अतः स्वयं अपीलांट अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति है कि उन्हें प्रकरण की जानकारी समय पर हो गई थी क्योंकि इन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी समय पर हो गई थी तो अपीलांट अप्रार्थी को अपना पक्ष यहां रखना चाहिए था अतः इनकी यह व्याख्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संबंध इस प्रकरण में सही साबित नहीं होती क्योंकि इन्हें अधीनस्थ न्यायालय में मौका दिया गया है हमने सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि अप्रार्थी दिनेश ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज था अन्य काश्तकारों का कोई हित नहीं था तथा इसी कारण अपील में केवल दिनेश ही आए है। खसरा संख्या 114 के अन्य खातेदार नहीं आए प्रार्थी रेस्पोंडेंट के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था तथा रास्ते की आवश्यकता थी अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही रास्ता दिया है अपीलांट ने अपने अपील मेमो में भी यह नहीं बताया कि वैकल्पिक रास्ता कहां है? कोई वैकल्पिक अन्य रास्ता नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार रिपोर्ट लेकर रास्ता दिया है जो कानूनन सही है। नियमानुसार प्रार्थी ने राशि जमा करवा दी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज हो चुका है। हस्तगत अपील वर्तमान में पोषणीय नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पेज 179, आर.आर.टी. 2022 पेज 184 प्रस्तुत किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपील

अपीलांट को खारिज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के केवल कैम्प कोर्ट के नोटिस संलग्न है। अप्रार्थी रामेश्वर एवं दिनेश को जारी कैम्प कोर्ट नोटिस के पृष्ठ भाग पर रामकिशन अंकित है। अतः यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन/नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं हुई। परंतु यहां अधिवक्ता रेस्पो० का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि अपीलांट ने स्वयं अपने अपील मेमो में यह माना है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी हो गयी थी। यदि इस तर्क को माना भी जाए तो भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 29.09.2021 को सीधे ही कैम्प कोर्ट की दिनांक 06.08.2021 दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.09.2021 पर ही आगे मुहर लगी है तथा अंकित है, "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जारी" में नोटिस जारी भी हुए तथा पत्रावली में संलग्न इन नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये नोटिस अप्रार्थी रामेश्वर व दिनेश को प्रोपर तामिल नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.10.2021 पर भी केवल केवल एक प्रार्थी मायाराम मीणा के हस्ताक्षर अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में नहीं मिला। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत आयोजित कैम्प कोर्ट में भी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर तो अवश्य दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 05.10.2021 के अवलोकन से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं दी गई तथा अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी मौका रिपोर्ट पर अंकित नहीं है। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रार्थना पत्र में केवल दो अप्रार्थीगण पक्षकार बनाये गये है– रामेश्वर, दिनेश प्रश्नगत रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 114 व 115 में कायम करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2076–2079 में के अनुसार ग्राम बाछोला तहसील नैनवा की खाता संख्या 119 में कुल किता 15 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर भूमि है जिसमें खसरा नम्बर 114 रकबा 1.3591 हैक्टेयर भूमि भी शामिल है, उक्त खाते में दिनेश पुत्र छीतर हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार, मदन पुत्र छीतर हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार रघुवीर पुत्र छीतर हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार रतनी पत्नी स्व. छीतर हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार, रमेश पुत्र छीतर हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार, दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 114 के अप्रार्थी संख्या 2 के अतिरिक्त मदन, रघुवीर रतनी रमेश भी सहखातेदार है चूंकि खसरा सं0 114 का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है. अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत खसरा सं0 114 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना उचित होगा। प्रकरण के अंतिम रूप से विधि अनुसार निस्तारण हेतु सभी हितबद्ध अभिलिखित सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण से स्पष्ट है कि

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। खसरा सं0 114 के अन्य हितबद्ध अभिलिखित खातेदारों को भी पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 के प्रावधानो की पालना नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2021 खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 63/ 2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2023 को उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जाये।

10. निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा